

राप्रनिम/क्षे.का./अलवर/ जन-147/R-887

दिनांक 09/03/2015

## निविदा सूचना स0 01/2015-16

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, क्षैत्रीय कार्यालय, अलवर एवं भिवाडी, मे सुरक्षाकर्मी, दो कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन तथा प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का संचालन, रखरखाव, वायु नमूनों संग्रहण इत्यादि क्षैत्र सहायक (Field Assistant) के लिये अनुबन्ध के आधार पर कार्य कराने हेतु अनुभवी फर्मी/पंजीकृत सरथाओं से मुहरबन्द निविदाये निम्नानुसार आमन्त्रित की जाती है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा शुल्क	अमानत राशि
1	6 सुरक्षा कर्मी (3 सुरक्षा कर्मी अलवर कार्यालय हेतु एवं 3 सुरक्षा कर्मी भिवाडी कार्यालय हेतु)	₹5. 300 /-	₹5. 12000 / -
2	2 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (एक अलवर कार्यालय हेतु एवं 1 भिवाडी कार्यालय हेतु)	₹5. 300/-	₹5. 4000/-
3	3 क्षेत्र सहायक (Field Assistant) (अलवर कार्यालय हेतु)	₹5. 300 / -	₹5. 6000/-

उपरोक्त तीनों कार्यों की निविदाये दिनांक 09.03.14 से 23.03.14 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 9:30 से सायः 6 बजे तक प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 24.03.14 को प्रातः 11 बजे तक इस कार्यालय में जमा करा सकते है । प्राप्त निविदाओं को दिनांक 24.03.14 को दोपहर 12:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्ते विभागीय वेबसाईट http://www.rpcb.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है। निविदा फार्म विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किए जा सकते है। डाउनलोड फार्म उपयोग में लेने पर निविदा शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक निविदा के साथ संलग्न करना होगा। प्रत्येक कार्य के लिए अलग—अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी। निविदा शुल्क एवं अमानत राशि के लिये डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक ही स्वीकार किये जायेगें, जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, देय अलवर (Payable at Alwar) के नाम से प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक को राजकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को निविदा प्राप्त एवं खोली जायेगी।

(के.सी.गुप्ता) क्षेत्रीय अधिकारी

Tender Publish Date	Tender Notice	Last Date & Time of Tender Submission	Tender Open Date & Time
09/03/2015	Notice for inviting Tender for	24/03/2015	24/03/2015
	Regional Office, Alwar to	11.00 A.M	12.30 P.M
	Provide		
	(1) Security Guards		
	(2) Field Assistants for		
	Monitoring Stations		
	(3) Computer Operators (Man		
	with Machine)		





राप्रनिम/क्षे.का./अलवर/जन-147/R-887

दिनांक 09/03/2015

# निविदा प्रपत्र

# कम्प्यूटर मय ऑपरेटर ( मैन विद मशीन ) की सेवाये किराये पर ऐजेन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु निविदा

1.	निविदादाता / फर्म का नाम व पताः (मय दरभाग / माबार्डल नम्बर तथा ई-	-मेल)
	पते (यदि हो) सहित	
2.	निविदादाता / फर्म का श्रम विभाग	
	में पंजीयन का कमांक एवं दिनांक	
3.		कमांक एंव दिनांक
4.	टेण्डर प्रपत्र देने का पता	राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल, अलवर
	संदर्भ:-	निविदास सूचनादिनांक
		जमा कराने की तिथि अपरान्ह बजे तक
		खोलने की तिथि अपरान्ह बजे तक
6	निविदा शुल्क का विवरण-	राशि रूपये 300 /-
0.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	नकद रसीद संख्यादिनांकदिनांक
		डी.डी. न0दिनांक
		बैंकर्स चैकदिनांक
7	अमानत राशि के बैंकर्स डाफ्ट / बैंकर्स	चैक बैंक का नाम
	जो सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य	राशि रू० ४००० / –(शब्दो मे रूपये चार हजार मात्र)
	प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल, अलवर	ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक स0दिनांक
	के पक्ष में देय हो का विवरण	बैंक का नाम
8	निविदा के लिये मासिक प्रस्तावित दर	
O.		द मैन):- (अंको मे)
	प्रात परन्यूटर नय जानरटर (नशाना व	(शब्दों मे)
गेट-।	। कमगटर मग ऑपरेटर के किराये की	राशि रूपये 8000/— प्रतिमाह (सभी कर सहित) से अधिक
		. Circular F9(1) FD-1(1)Bud 2012 Dt 01.05.14
//	अनिविदा की प्रस्तावित हुए अंको व शह	दो मे समान होनी चाहिये । अंको व शब्दो में अन्तर होने पर
		कार की कोई कांट छांट/ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिये,
		। द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावे।
	निविदादाता का विवरण एवं	विश्वार पूर्व दर्भावर कर प्रशानिस किया जाव
9.	अनुभव प्रमाण पत्र	-निविदा आवेदन कर्ता अपनी फर्म / ऐजेन्सी का पूर्ण
	जनुषय प्रसार यत	विवरण, कन्सटीटयूशन एवं अनुभव का पूर्ण विवरण मय
		तत्संबधी प्रमाण पत्रों के संलग्न करें।
40	मैने / इसनें निविद्या गान के साथ व	तत्सवया प्रमाण पत्रा क सलग कर। संलग्न सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया हैं हमे
10	सभी मान्य होने बाबत भार्ती पर हस्ता	
	אווין חויש פויו שושנו חונוו של פללווי	17 4/1 144 ()

हस्ताक्षर निविदादाता



राप्रनिम/क्षे.का./अलवर

दिनांक

## कम्प्यूटर मय ऑपरेटर ( मैन विद मशीन ) की सेवाये किराये पर लेने के लिये मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्ते:—

निविदादाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ लेना चाहिये एवं निविदा भेजते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिये । निविदादाता को यदि किसी भार्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पश्ट लगे तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले उसका क्षेत्रीय कार्यालय से स्पश्टीकरण प्राप्त कर लिया जावें । किसी भरी भार्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी ही अंतिम व मान्य होगा।

- निविदा प्रपत्र क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल, अलवर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क नकद जमा करवाकर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा प्रपत्र पर प्रस्तुत दरें की स्वीकार की जावेगी। यह निविदा प्रपत्र किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।
- 2. निविदा ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत करनी होगा। लिफाफे पर "संविदा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल, अलवर को सबोधित करते हुये रिजस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्ति ाः इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक क्षेत्रीय कार्यालय में पहुच जावें।
- 3. निर्धारित अतिन्त तिथि एवं समय के प चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 4. अमानत राशि के रूप में डी.डी./बैंकर्स चैंक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, बिना अमानत राशि के प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। डी.डी./बैंकर्स चैंक, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल, अलवर के नाम से देय होगा। राजकीय उपकम, निगम, स्वायतशासी निकाय जो सरकार, सरकारी उपकमों, संघ सरकार या राजस्थान सरकार की कम्पनीयों द्वारा नियंत्रित/प्रबन्धित संस्थाओं को अमानत राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्वंय के खर्चे पर रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
- 6. निर्धारित अविध में अनुबन्ध नहीं करने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

- 7. यह निविदा केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाऐं प्रस्तुत कर सकती है जिनका पंजीयन श्रम विभाग एवं आयकर विभाग अर्थात दोनो विभागों में हो। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की निविदा को निरस्त समझा जावेगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. का पंजीयन भी नियमानुसार होना आ श्यक है।
- कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन ) किराये पर कार्य अविध का ठेका स्वीकृति दिनांक से प्रारम्भ में एक वर्ष की अविध के लिये होगा। कार्य संतोशप्रद होने पर ठेका आगे बढाया जा सकेगा।
- 9. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संख्या व योग्यता विवरण:-
  - कम्प्यूटर मय ऑपरेटर ( मैन विद मशीन) की संख्या':— 2 (दो) एक अलवर ऑफिस + एक मिवाडी ऑफिस के लिए
  - कर्मी की योग्यता:-
    - (i) कम्प्यूटर ऑपरेटर को विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) ओपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है।
    - (ii) कर्मी स्वरथ्य एवं न्यूनतम 18 वर्श का होना चाहिये।
- 10. मशीनों को विवरण:--निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी मे होना आवश्यक है-
  - i) Computer –Intel Core i3/Equivalent AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more. 15" Monitor\TFT or bigger 10/1001000 Mbps Lan card, Cd/DVD writer standards Keyboard, Optical Mouse, Standard serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.
  - Printer:-Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Do Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
  - iii) UPS:- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.
- 11. निविदादाता ऐजेन्सी का सर्विस टेक्स हेतु रिजस्ट्रेशन आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है
- 12. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये सन्तोशप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरन्त इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा ।
- 13. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9.30 बजे से सायः 6 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अविध को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।

- 14. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मीयों को सविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एवं पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रो की प्रतियां कार्यदेश जारी होने की तिथि के पांच दिनों के अन्दर अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। अनुबन्ध की अविध में यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।
- 15. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्ते वित विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांक 1:9(1)FD-1(1)Bud2004 Dated: 28.07.2008 के अनुरूप होगी (प्रति संलग्न)
- 16. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र, अलवर होगा।
- 17. यदि निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मियों द्वारा किसी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो निविदादाता संस्था / ऐजेन्सी ही उसके लिये उत्तरदायी होगी। प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल उपरोक्त दायित्वों के लिये किसी भी प्रकार उतरदायी होगा।
- 18. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांक	हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
	नाम मैसर्स
	पताः



dust

राप्रनिम/क्षे.का./अलवर/जन-147/ ८८४७

दिनांक 9/3/15

प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant) हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन

# निविदा प्रपत्र

1.	निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम/फर्म का नाम
	डाक का पूरा पताः
3.	संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम
	पदनामएवं प्रमाणित हस्ताक्षर
	निविदादाता का दूरभाष संख्या / लेण्डलाईन न0मोबाईल न0
5.	निविदा संख्यादिनांक
6.	निविदा शुल्करूपये रसीद संख्या / डी.डी. / बैंकर चैक क्रमांक
7.	अमानत राशि रूपयेडी.डी./बैंकर चैक संख्याडी.डी.
	दिनांक
8.	ठेका राशि एक वर्ष के लिये-राशि (अंको मे)
	राशि (शब्दो मे)रूपये प्रति स्टेशन
	मै. / हम राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल, अलवर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना कमांक दिनांकमे वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट मे दी गई उक्त निविदा सूचना की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ / करते है एवं जिनके स्वीकार किये जाने के प्रमाण में निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।
	उपर उद्वत की गई दरें निविदा खोले जाने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिये विधिमान्य है । इस अविध को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा। ठेका कार्यादेश जारी करने पर कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा ।
11.	निविदादाता को आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (PAN) निविदादाता का सेवाकर रिजस्ट्रशन निविदादाता को श्रम विभाग द्वारा जारी रिजस्ट्रेशन की प्रतिया संलग्न की जानी आवश्यक होगी। ठेकेदार फर्म के पते के प्रमाण मे राशनकार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति/फर्म के रिजस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करें।
	हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर नाम मैसर्स



राप्रनिम / क्षे.का. / अलवर

दिनांक

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवता प्रबोधन परियोजना (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य का विस्तृत विवरणः—

अलवर शहर में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) वर्तमान में निम्न स्थानों पर स्थित है:-

क.स.	प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) का नाम	क्षेत्रीय प्रयोग गाला का नाम व पता जहा नमूने जमा कराने हैं	
1	क्षेत्रीय कार्यालय, परिसर, अलवर	**	
2	रीको पम्प हाऊस, एम.आई.ए, अलवर	- क्षेत्रीय प्रयोगशाला, राप्रनिम, 8/43-44 एन.ई.बी हाऊसिंग बोर्ड, अलवर	
3	मै० गौरव सोलवेक्स परिसर, एम.आई.ए, अलवर		

निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफे पर " प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) हेतु क्षेत्र सहायक (Field Assistant) हेतु निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूशण मंडल, 8/43—44 एन.ई.बी हाऊसिंग बोर्ड, अलवर को सम्बोधित करते हुए रिजस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।

- परिवेशीय वायु गुणवता केन्द्र पर तकनीकी सहायक / कर्मी से केन्द्र पर लिये जाने कार्य अपेक्षित कार्यः—
  - (अ) कार्य का विवरणः राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, के राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) अलवर स्थित तीन (03) स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का चालन, (Operation of Respirable Dust Sampler एवं PM<sub>2.5</sub> Sampler) सुरक्षा (Safety and Security) वायु नमूनों का संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं सम्बन्धित आकडो (National Air Quality Monitoring, Data Sheet) सहित विश्लेशणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला, अलवर को शीघ्रता शीघ्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करना । परियोजना अन्तर्गत स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है स्थानों व मशीनो की संख्या मे कमी वृद्धि की जा सकती है ।
  - (ब)निर्धारित स्टेशनों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई मशीन का सुचारू रूप से प्रचालन (Operation of Equipments)
  - (स) प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) एक सप्ताह में दो दिवस के अन्तराल पर 24 घन्टे चलाया जायेगा।
  - (द) वांछित कार्य सम्पादन के लिये 8 घन्टे प्रति पारी (6:00 ए.एम. से 2:00 पी.एम., 2:00 पी.एम. से 10:00 पी.एम. एवं 10:00 पी.एम. से 6:00 ए.एम.) के सचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी नियुक्त किया जायेगा।

- 2. आपात स्थिति एवं दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किसी एक अथवा सभी प्रबोधन केन्द्रों पर दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मदोरी भी ठेकेदार की होगी इस कार्य का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।
- 3. तकनीकी सहायक (Technical Assistant) / कर्मी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक / सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उतीर्ण होनी आवश्यक है ।
- 4. मुख्य/अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय-समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसके दौरान पायी गई किमयों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी किमयों का ठेकेदार/संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

# परिवेशीय वायु प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य की शर्ते

- निविदादाता को अलवर शहर के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Station) पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- 2. ठेकेदार को अमानत राशि के रूप मे रूपये 6000 बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक जो सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल, अलवर के नाम हो तथा ये अलवर में भुगतान योग्य हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा । निविदा के साथ अमानत राशि (Earnest Money) प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 3. ठेकेदार को रू 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों मे जमा कराना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। अमानत राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर अनुबंध के सन्तोशजनक निर्वाह की स्थिति मे लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रता शीघ्र लौटा दी जायेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा यदि संविदा के किन्ही उपबधों एवं भार्तो में उल्लघंन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा ।
- 4. क्षैत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा की अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध का समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 5. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजो मे कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रदद करने एवं उसके द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल, अलवर को होगा।
- विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता
  है विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
- निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आव यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 8. प्रबोधन कार्य संचालन (Handing of Monitoring Work) सम्पादन हेतु मशीन उपस्कर/उपकरण रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of Equipment supply of Absorbing Solution Filter Paper) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे । आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत सर्विस (Servicing and repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी की कर्तव्य निश्ठा सुचारू रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन के रूकावट पर

तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा । यदि ठेकेदार या उसके तकनीकी सहायक(Technical Assistant) / कर्मी की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मकों, फिल्टर पेपर, आकडा प्रतिवेदन, आंकडा संग्रहण आदि को क्षति पहुचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि / उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा ।

- ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पजींकृत होना आवश्यक है । आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टेक्स रिजस्ट्रेशन संबंन्धी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
- 10. कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षित होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षिति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा ।
- 11. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- 12. ठेकेदार प्रतिमाह वैज्ञानिक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अन्य प्रयोगशाला अधिकारी से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा । मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 13. ठेके की भार्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 14. ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, अलवर का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।

# अन्य महत्वपूर्ण भार्तेः

- ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा ।
- 2. इस निविदा के तहत कार्य निश्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था निर्धारित योग्यताधारी श्रमिको को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार खंय जिम्मेदार होगा
- 3. मॉनिटरिंग स्टेशन के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है
- 4. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्र सहायको की आयु 18 वर्श से कम नहीं होगी।
- 5. ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोशी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
- 6. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि स्टेशन पर स्थापित उपकरण विभिन्न रसायनों अभिकर्मको आदि को काई नुकसान पहुचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था के करनी होगी।
- ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
- 8. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी के संबंध मे विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानुनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा । राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिये किसी भी रूप मे उत्तरदायी नहीं होगा।

'9. प्रभावी श्रम एवं अन्य समिबन्धत कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बिना (ESI) और सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने एवं अन्य वित्तिय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होगें इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।

10. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की भार्तों का अल्लघंन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है

- 11. ठेकेदार/संस्था नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद मे दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नही होगा ।
- 12. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध में औद्यौगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु ठेकेदार/संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा । इस सम्बन्ध में यदि क्षेत्रीय कार्यालय को कोई राशि व्यय करनी पड़ी तो वह ठेकेदार/संस्था के लिम्बत भुगतान या अमानत राशि से वसूल की जायेगी।
- 13. यदि अनुबंध के सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा भार्तों / कार्यालय में भारित (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा द्वारा आरोपित की जा सकेगी ।
- 14. ठेकेंदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षितिपूर्ति / दंड एवं भाास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेंदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा अमानत राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
- 15. उक्त भार्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमो की भार्ते व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।
- 16. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निश्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लिम्बत हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।
- 17. यह की मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोंई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
- 18. इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अविध सामान्यतः एक वर्ष की होगी तथापि अनुबन्ध की अविध में कमी अथवा बढोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 19. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निश्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध को शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, अलवर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
- 20. ठेकेदार या उसके तकनीकी सहायक (Technical Assistant) / कर्मी द्वारा नमूने के एकत्रिकरण के कार्य में प्रतिदिन क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी कि निर्देशानुसार प्रयोगशाला मे नमूनों को मय आंकडा प्रतिवेदन (Collected sample and Data Sheet) विश्लेशण के लिये जमा कराया जायेगा।
- 21. शास्ति (Penalty)
  - (1) ठेकेदार / ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आकडा प्रतिवेदन एवं नमनों को क्षेत्रीय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं कराने पर उस दिन की भुगतान (Paymment) की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।

- (2) ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसो पर कार्य में लापरवाही करने पर उन दिनों का भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुणा राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
- (3) लगातार सात कार्य दिवसो पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
- 22. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार अलवर होगा।

	हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नामः	मैसर्स
पताः	



Lus

राप्रनिम/क्षे.का./अलवर/जन-147/ 🤾 887

दिनांक 9/3/15

#### निविदा प्रपत्र

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर व भिवाडी कार्यालय में सुरक्षाकर्मी हेतु निविदा प्रपत्र

फर्मो / संस्थाओं / निविदादाता का नाम	
स्थाई पता	
वर्तमान पता	
निविदा शुल्क	राशिडिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक सख्या दिनांकबैंक का नाम
अमानत राशि जमा का विवरण	राशिडिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक सख्या दिनांकबैंक का नाम
सुरक्षाकर्मीयों की दरें	अक्षरो में रूपयेरूपये प्रति माह / प्रति सुरक्षाकर्मी
सर्विस टेक्स, पंजीयन लाईसेन्स, आयकर भोधन एवं अनुभव प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है	

निविदा के नियम एवं शर्तों का अध्ययन हमारे द्वारा कर लिया गया है तथा हमें क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.म., अलवर की समस्त भार्ते स्वीकार है हमारे द्वारा दिया गया उपरोक्त कथन सही एवं सत्य है कोई कथन असत्य अथवा अप्रासंगिक पाये जाने पर हमारा प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

# राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर व भिवाडी में सुरक्षाकर्मी हेतु नियम एवं शर्ते:—

- 1. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफे पर " राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर व सहायक अभियन्ता भिवाडी में सुरक्षाकर्मी हेतु निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूशण मंडल, 8/43-44 एन.ई.बी. हाउसिंग बोर्ड, अलवर को सम्बोधित करते हुए रिजस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।
- 2. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जावेगा।
- 3. निविदा प्रारूप स्याही / टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा । निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृश्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त भार्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा ।
- 4. दरें शब्दों एवं अकों मे अलग अलग लिखी जावेगी। इसमे कोई त्रुटिया/उपिरलेखन नही होना चाहिये यदि कोई शुद्धिया कही हो तो स्पश्ट रूप से लिखनी होगी एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर करने होगें।
- 5. निविदा फर्म के साथ अमानत राशि रू० 12000/— की प्रस्तुत करनी होगी । इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा यह राशि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल देय अलवर के पक्ष में शिड्यल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी होगी।
- अमानत राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money): असफल निदिवदादाताओं को अमानत राशि निविदा के अंतिम रूप में स्वीकार करने के बाद लौटाई जायेगी।
- अमानत राशि का समपरहणः अमानत राशि को निम्निलखित मामलों मे समपहत कर लिया जायेगा।
  - जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व
    प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।
  - जब निविदादाता विनिर्दिश्ट समय के भीतर विहित किसी करार का यदि कोई हो,
    निश्पादित नहीं करता हो।
  - जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।

- जब वह विहित समय के भीतर आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करनें में असफल रहता हो।
- अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निश्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण (Counter Foil) निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।
- विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।
- 10. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी की उम्र 18 वर्श से कम नही होनी चाहिये।
- 11. सुरक्षाकर्मी को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी।
- 12. किसी भी सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सुरक्षाकर्मी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा जुर्माना देय होगा।
- 13. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी । जिसमें सुरक्षाकर्मी को प्रोविडेन्ट फण्ड एवं राज्य बीमा कानून आदि लागू होगे ।
- 14. सुरक्षाकर्मी को निर्धारित वर्दी में रहना एवं बेंच लगाना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मी को वर्दी, टार्च, सीटी एवं डंडा (4 फिट) का निविदादाता स्वंय से उपलब्ध करायेगा अन्यथा प्रतिदिन रू० 50/- प्रति कर्मचारी पेनल्टी देनी होगी।
- 15. सुरक्षाकर्मी का बीमा निविदादाता द्वारा एक वर्ष का कराना अनिवार्य होगा एवं अविध समाप्त होने पर तुरन्त नवीनीकरण का उत्तरदायित्व निविदादाता को होगा। यदि किसी न्यायालय, अधिकरण मण्डल द्वारा पारित अवार्ड की पालना मे यदि किसी राशि के भुगतान का दायित्व मण्डल पर आता है, तो अदायगी की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 16. निविदादाता के सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चौरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
- 17. सुरक्षाकर्मी के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना—दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 18. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यन लेना, नशा करना, ताश खेलना, अथवा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
- 19. सुरक्षाकर्मी का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नही रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी के। बदलना पडेगा।
- 20. कोई भी सुरक्षाकर्मी दूसरी शिफ्ट के स्टॉफ को चार्ज सम्भालने के बाद ही ड्यूटी से ऑफ होगा।

- 21. यदि किसी कारणवश कोई सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर नहीं आ सकें तो उसके एवज् में दूसरा सुरक्षाकर्मी निविदादाता की उपलब्ध कराना होगा।
- 22. उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी की कार्य कुशलता, सजगता, व्यवहार एवं अच्छे आचरण बाबत किन्ही दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा प्राप्त कर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, अलवर का प्रस्तुत करना होगा एवं समस्त कर्मियों को कार्यालय अनु ॥सन का पूर्ण पालन करना होगा।
- 23. निविदादाता के। श्रम नियमों के अनुसार प्रत्येक माह भुगतान करना होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शाकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वंय जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 24. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी स्टॉफ किम्यों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने को बाध्य होगा।
- 25. सुरक्षा कर्मी जहां भी नियुक्त हो वहां पर रखे रिजस्टर में आने जाने एवं कोई विशेष घटना का विवरण समय डाल कर अंकित करना होगा।
- 26. बिल का भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा जिसके साथ सम्बन्धित विभाग में लगाये गये गार्ड व उपस्थिति व बिल विभाग के अधिकारी/प्रभारी से प्रमाणित करा कर निविदादाता को देनी होगी।
- 27. यदि केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई कर लगाया जाता है तो उसकी अदाय निविदादाता को ही करनी होगी।
- 28. सफल निविदादाता कें। उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी कें। न्यूनतम भुगतान की रसीद की छाया प्रति हर माह मण्डल में प्रस्तुत करनी होगी।
- 29. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., अलवर का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
- 30. सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र, अलवर न्यायालय ही रहेगा।
- 31. सर्विस टेक्स नियमानुसार जमा कराने का दायित्व निविदादाता का होगा।
- 32. नियमानुसार आयकर की कटौति निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
- 33. दर निरन्तर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था प्रतिमाह की दी जावे जिसमे रिववार व अन्य अवकाश के दिन भी सम्मिलित होगें।
- 34. सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थित पाये जाने पर देय भुगतान मय क्षतिपूर्ति निविदादाता के मासिक बिल से काट लिया जावेगा। क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जावेगा।
- 35. किसी भी प्रकार की क्षति के लिये क्षति पूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।

- 36. निविदादाता द्वारा इस कार्यालय का नियमित रूप से मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा। । सुरक्षाकर्मियों को भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा।
- 37. किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- 38. निविदादाता को सुरक्षा गार्ड सेवाओं संबंधी राज्य सरकार का अनुज्ञा पत्र/लाईसेन्स एवं सेवाकर/आयकर नम्बर मय प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करनें होगें।
- 39. निविदा अवधि घटाने व बढाने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- 40. सुरक्षाकर्मी घटाने बढाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
- 41. राज्य सरकार द्वारा सुरक्षाकर्मी के सम्बन्ध में समय समय पर जारी आदेशा / नियम निविदादाता को मान्य होगें।

दिनांक		हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर नाम मैसर्स
		पताः